**Human right's violation by Bhutanese Government**

2792. SHRI RATNA BAHADUR RAI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation regarding the alleged violation of human rights by the Bhutanese Government; and possible eviction of thousands of Nepali speaking people from there; and

(b) if so, what are the details of diplomatic measures being undertaken to pursue the Bhutanese Government regarding this problem?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) and (b) The Govenment have seen and received reports on the problem. Bhutan and Nepal have set up a Bhutan-Nepal Minisetrial Joint Committee which is continuing its dialogue on the problem of refugees in camps in Nepal. The Government of India hope that Nepal and Bhutan, two friendly neighbours of India, will arrive at an amicable settlement of this issue.

2793. [*Transferred to 19th April, 1994*]

**विदेशों में कार्यालयों/आवासीय एककों के लिये अचल संपत्ति का अधिग्रहण**

**2794. श्री राम सिंह राठवा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में कार्यालयों अथवा आवासीय एककों के लिये अचल संपत्ति के अधिग्रहण अथवा निर्माण कार्य में बहुत कम प्रगति हुई है ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और यह प्रस्ताव कब से लंबित है ;

(ग) विलंब के कारण प्रत्येक प्रस्ताव की लागत में कितनी-कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया)** : (क) जी, नहीं । यह सही नहीं है कि विदेशों में कार्यालयों या रिहायशी आवासों के निर्माण अथवा अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के कार्य में कोई खास प्रगति नहीं हुई है । सरकार की यह नीति रही है कि हमारे मिशनों के कार्यालयों तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के आवासों के लिये विदेशों में भवनों की खरीद की जाय । निर्माण किया जाय, हमारी कार्यात्मक जरूरतों को पूरा करने के अतिरिक्त इन संपत्तियों से हम उन किरायों की बचत कर सकते हैं जिनमें सदैव वृद्धि होती रहती है । इस दिशा में किये गये सतत प्रयासों के परिमाणतः अब हमारे स्वामित्व में निम्नलिखित भवन हैं:—

| | |
|---|---|
| 1. चांसरी कार्यालय . . | 61 |
| 2. मिशन/केन्द्र प्रमुखों के आवास | 66 |
| 3. अन्य कर्मचारियों के लिए मकान/फ्लैट . . | 509 |

(ख) से (घ) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार संपत्तियों की खरीद से संबंधित निम्नलिखित प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही थी:—

| क्र.सं. | संपत्ति का विवरण | वह तारीख जिससे कार्यवाही की जा रही हो |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | भारत के हाई कमिश्नर, लन्दन का निवास | अगस्त, 1993 |
| 2 | संयुक्त राष्ट्र, न्यूयार्क भारत के स्थायी प्रतिनिधि का निवास | नवम्बर, 1993 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 3 | भारत का राजदूतावास, बर्न के 4 अधिकारियों के लिये आवास | दिसम्बर, 1993 |
| 4 | ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र और भारतीय विद्यालय के लिये भवन | मई, 1993 |
| 5 | भारत के राजदूत, के लिये आवास | दिसम्बर, 1993 |

ढाका में खरीद के प्रस्ताव का अनुमोदन 28 फरवरी, 1994 को हो गया था लेकिन शेष प्रस्तावों पर प्रशासनिक वित्तीय, तकनीकी, बजट तथा विधिक क्रियाविधियों को देखते हुए शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही की जा रही है । उपर्युक्त मामलों पर कार्यवाही में जो समय लगेगा उसके कारण इन सम्पत्तियों की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार प्रक्रियाधीन निर्माण परियोजनाओं से संबंधित स्थिति नीचे लिखे अनुसार है :—

1. भारत का राजदूतावास, रियाद में चांसरी, कार्यालय, राजदूत का आवास और 44 भारत स्थायी कर्मचारियों के लिए आवासों का निर्माण, विलम्ब, यदि कोई हो के कारण लागत में वृद्धि रियाद निर्माण परियोजना को अधिक 47,189,413 सऊदी रियाल (12,568,928 अमरीकी डालर या 39,65,689 (रुपये के समतुल्य) की लागत से दिसम्बर, 1993 में दी गई । यह वृद्धि अमरीकी डालर में केवल 0.51% की है । अगस्त, 1986

2. भारत का राजदूतावास, अबुधाबी में चांसरी कार्यालय राजदूत के आवास का निर्माण । सितम्बर, 1989

3. पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर का आवास, भारतीय उच्चायोग, इस्लामाबाद के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास (कुल एकक 121) अप्रैल, 1993

4. मारीशस में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र (फरवरी, 1994 में प्राप्त निर्माण के संशोधित क्षेत्र के आधार पर नए सिरे से अनुमोदन) जनवरी, 1990

वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान वित्तीय दशाओं के कारण निर्माण परियोजनायें हाथ में नहीं ली गई । खाड़ी संकट के कारण रियाद तथा अबुधाबी में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ क्योंकि संविदाकारों तथा निविदा देने के संबंध में पूर्व-अर्हता की प्रक्रिया खाड़ी युद्ध के बाद नए सिरे से शुरू करनी पड़ी थी । उपर्युक्त (क्र0 सं. 2 से 4) पर उल्लिखित निर्माण प्रस्तावों के संबंध में कार्यवाही विभिन्न प्रशासनिक, वित्तीय, बजट , तकनीकी तथा विधिक क्रियाविधियों को ध्यान में रखते हुए शीघ्रातिशीघ्र की जा रही है । इन प्रस्तावों पर कार्यवाही से जो समय लगेगा उसके कारण लागत में होने वाली वृद्धि, यदि कोई हो, ज्ञात नहीं है क्योंकि ये निर्माण कार्य संविदाकारों को नहीं दिए गए हैं ।

**प्रधान मंत्री की बांग्लादेश की यात्रा**

2795. **श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगले दो महीनों में प्रधान मंत्री के बांग्लादेश